भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 139*

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

अग्नि दुर्घटना

†*139. श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री विद्युत वरण महतोः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केरल के कोल्लम में स्थित पुट्टिगंल देवी मंदिर परिसर में लगी आग सहित देश के विभिन्न भागों में आग लगने की घटनाओं/दुर्घटनाओं पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान घायल हुए/मारे गए व्यक्तियों की आग लगने की घटना-वार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घायल हुए/मारे गए लोगों के साथ-साथ ऐसे पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को भी किसी अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने अग्नि दुर्घटना द्वारा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए सहायता करने हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) आतिशबाजी के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध सहित भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल रख दिया गया है।

दिनांक 03 मई, 2016 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 139 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में विवरण

(क) से (ग): अग्नि शमन राज्य का विषय होने के नाते राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के संबंध में अग्नि संबंधी आंकड़े रखती हैं। तथापि, यदि राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित हो, तो केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करती है।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 10.04.2016 को प्रातः 03.13 बजे कोल्लम, केरल में स्थित पुट्टिंगल देवी मंदिर परिसर में आग लगने की एक बड़ी घटना का संज्ञान लिया, जिसमें दो महिलाओं और दो बच्चों सहित 109 लोग मारे गए; जबकि 1197 लोग घायल हुए, जिनमें से आज की तिथि के अनुसार 68 लोगों की अस्पताल में अभी भी नाजुक स्थिति बने होने की सूचना है।

जहां तक पुटिंगल देवी मंदिर, पारावुर, कोल्लम जिला में आग लगने की घटना का संबंध है राज्य सरकार ने पटाखों से हुई त्रासदी की परिस्थितियां और कारणों की जांच करने के लिये दिनांक 21.04.2016 को एक जांच आयोग का गठन किया है। उक्त आयोग अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 06 माह के भीतर जांच करेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केन्द्र सरकार (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) ने जांच के आदेश दिए हैं और उपर्युक्त दुर्घटना की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में डॉ. ए. के. यादव, संयुक्त मुख्य नियंत्रक (विस्फोटक), चेन्नई की नियुक्ति की गई है।

प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के निकट संबंधी को 02 लाख रु. तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक 50,000/- रू. की अनुग्रह राशि देने की

घोषणा की है। केरल सरकार ने सभी आवश्यक राहत और बचाव उपाय किए हैं जिनमें घायलों के उपचार के लिए लोगों को सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में भेजना, स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने हेतु उपाय, राहत शिविरों की स्थापना और मृत व्यक्तियों के परिवार को 4 लाख रु. की अनुग्रह राशि सहित निःशुल्क राहत उपलब्ध कराना शामिल है।

(घ): दिनांक 10.04.2016 को 1317 बजे राजाजी एयरबेस, आराकोणम, तमिलनाडु से 02 डॉक्टरों, 08 पराचिकित्सों सहित 50 कर्मियों वाले एनडीआरएफ के एक दल को हवाई मार्ग द्वारा भेजा गया और इस दल को पुटिंगल देवी मंदिर, कोल्लम में आग लगने की दुर्घटना से प्रभावित पीड़ितों का चिकित्सकीय उपचार कर रहे अस्पताल के कर्मचारियों की सहायता हेतु त्रिवेन्द्रम मेडिकल कॉलेज में तैनात किया गया। वहां पर दल ने दुर्घटना के 45 पीड़ितों का उपचार किया।

(ङ): सरकार ने विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत पटाखों, ज्वलनशील एवं चिंगारियां उत्पन्न करने वाली सामग्रियों के प्रदर्शन और भण्डारण के संबंध में सुरक्षा संबंधी मानदंड पहले से निर्धारित कर रखे हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, रात्रि 10 बजे से सुवह छह बजे के बीच पटाखों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम 2008 पूरे देश में लागू है।

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 12.04.2016 को मुख्य सचिव, केरल सरकार, त्रिवनंतपुरम को पत्र लिखकर उनसे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने का अनुरोध किया है।